<u>न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया, कुशीनगर।</u>

<u>आदेश</u>

Bail Application No.–1325/2026

<u>03.06.2026</u>

मुकदमा नं०–3600/2025, मु०अप०सं०–130/2025, अन्तर्गत धारा – 115(2),352,351(3) बी०एन०एस०, थाना– सेवरही, जनपद–कुशीनगर के मामले में अभियुक्त **राजू वर्मा** की ओर से **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, उसे रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी जमानत मुचलका देने को तैयार है। अतः उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जाये।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दाखिल है।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त/ प्रार्थी द्वारा **मु०–20,000/–** रूपये के **एक** प्रतिभू व समान धनराशि के व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

जे०एम०,
कसया, कुशीनगर।

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.06.03 16:58:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court